इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 475] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 अगस्त 2018—भाद्र 8, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2018

क्र. एफ-ए-3-28-2018-1-पांच (76).—आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते है कि जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए विवरणी, उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3 बी में ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी.

2. प्ररूप जीएसटीआर-3 बी के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदाय:—प्ररूप जीएसटीआर-3 बी में विवरणी प्रस्तुत करने वाली प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम तारीख के अपश्चात्, जिसको उससे उक्त विवरणी को फाईल करने की अपेक्षा की जाती है, यथास्थिति, इलेक्ट्रानिक रूप से रोकड़ खाता या इलेक्ट्रॉनिक उधार खाता के विकलन करते हुए जैसा कि प्रथम पैरा में विनिर्दिष्ट है, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा.

3. यह अधिसूचना 10 अगस्त, 2018 से प्रवृत्त समझी जाएगी.

पवन कुमार शर्मा, राज्य कर आयुक्त.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2018

क्र. एफ-ए-3-28-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-28-2018-1-पांच (76), दिनांक 30 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 30th August 2018

No. F-A 3-28-2018-1-V(76).—In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules). the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in FORM GSTR-3B of the said rules for each of the months from July, 2018 to March, 2019 shall be furnished electronically through the common portal on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B :** Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B of the said ruels shall, subject to the provisions of Section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be ,not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

3. This notification shall deemed to have come into effect from the 10th August, 2018.

PAWAN KUMAR SHARMA, Commissioner of State Tax.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.